U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
यू0 पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226001
CIN-U31901UP1985SGC007135

संख्याः 166–उनिलि/रिफॉर्म/R-035(Incentive Policy for Higher Education) दिनांकः 14/11/2025

कार्यालय ज्ञाप

INCENTIVE POLICY FOR HIGHER EDUCATION

निगम के "आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन" के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (विलय के उपरान्त) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.06.2025 को आयोजित दसवीं (10) बैठक में मद संख्या–10.32 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के दोनों स्कन्धों (तापीय व जलीय) के नियमित कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना **(Incentive Policy for Higher Education)** निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन तत्काल प्रभाव से लागू की जाती हैः–

(1) निगम द्वारा कार्मिकों को केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों हेतु प्रायोजित किया जायेगा, जो कार्मिक को उनके कार्यक्षेत्र में निगम के कार्यहित में उपयोगी बना सकें। इस हेतु निम्नलिखित तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को समग्रता में विचारोपरान्त प्रायोजित किया जायेगा :–

S. No.	Technical Programme	Management Programme	Professional Programme
1	M.Tech. (Electrical / Electrical & Electronics / Electrical, Instrumentation & Control / Power Systems & High Voltage / Power Electronics / Power Engineering)	M.B.A. / P.G.D.M. (Finance)	C.M.A.
2	M.Tech. (Mechanical / Production / Industrial Engg. / Production & Industrial Engg. / Thermal / Mechanical & Automation / Power Engineering)	M.B.A. / P.G.D.M. (H.R.)	C.S.
3	M.Tech. (Instrumentation / Electronics & Instrumentation / Instrumentation & Control)	M.B.A. / P.G.D.M. (Power / Energy Management)	-

4	**M.Tech. (Electronics / Electronics & Telecommunication / Electronics & Power / Power Electronics / Electronics & Communication / Electrical & Electronics)**	**M.B.A. / P.G.D.M. (Energy Audit)**	-
5	**M.Tech. (Computer Science & Engg. / Information Technology)**	-	-
6	**M.Tech. (Subjects related to Civil / Construction)**	-	-

(2) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत **National Institutional Ranking Framework (N.I.R.F.)** द्वारा **Engineering & Management** के पाठ्यक्रमों हेतु निर्गत अद्यतन प्रकाशित सूची **(Latest published List)** के सरकारी/निजी शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु समेकित फीस **(Total Fees)** (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) की धनराशि को प्रायोजित किया जायेगा। प्रोत्साहन नीति में **N.I.R.F.** द्वारा **Engineering** एवं **Management** के पाठ्यक्रमों हेतु जारी पृथक–पृथक सूचियों में टॉप–50 सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु निगम के नियमित कार्मिकों को प्रायोजित किया जा सकेगा।

N.I.R.F. में सूचीबद्ध सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों में **C.A./C.M.A./C.F.A.** व **C.S.** के पाठ्यक्रमों का उल्लेख न होने के कारण प्रस्तावित उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना **(Incentive Policy for Higher Education)** के अन्तर्गत उक्त पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु **N.I.R.F.** में सूचीबद्ध होने की बाध्यता नहीं होगी।

(3)(i) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना **(Incentive Policy for Higher Education)** के अन्तर्गत निगम द्वारा प्रायोजित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित समेकित फीस **(Total Fees)** (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) अथवा अधिकतम रू0 20 लाख, जो भी कम हो, को प्रायोजित किया जायेगा। किसी पाठ्यक्रम विशेष हेतु संस्थान में यदि समेकित फीस **(Total Fees)** (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) रू0 20 लाख से अधिक देय है, तो ऐसी स्थिति में निगम द्वारा प्रायोजित धनराशि की अधिकतम सीमा से अधिक की अतिरिक्त धनराशि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।

(ii) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान **(IIT)**, भारतीय प्रबन्धन संस्थान **(IIM)** एवं इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस **(ISB)** में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रायोजित किये गये निगम कार्मिकों को प्रायोजित धनराशि की अधिकतम सीमा रू0 20 लाख से मुक्त रखा जायेगा, अर्थात इन संस्थानों में प्रायोजित किये जाने की स्थिति में वास्तविक समेकित फीस **(Total Fees)** (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) का भुगतान निगम स्तर से किया जायेगा।

(iii) नीति के उपरोक्त बिन्दु–(1) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त यदि कोई पाठ्यक्रम विशेष निगम के परिप्रेक्ष्य में अधिक उपयोगी प्रतीत होता है, तो अध्यक्ष, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0 की अध्यक्षता में गठित समिति (बिन्दु–5(vii) के अनुसार) को यह विशेषाधिकार होगा कि निगम हित में **N.I.R.F.** की अद्यतन सूची के टॉप–50 सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अध्ययन करने हेतु निगम के कार्मिकों को प्रायोजित किया जा सकेगा, जिसमें उक्त विशेष उपयोगिता वाले पाठ्यक्रम की वास्तविक समेकित फीस **(Total Fees)** (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) का पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान (जैसा भी निर्धारित किया जाये) निगम स्तर से किया जा सकेगा। अर्थात उक्त विशेष उपयोगिता वाले पाठ्यक्रम को प्रायोजित किये जाने हेतु धनराशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

(4) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में निगम के तापीय स्कन्ध एवं जलीय स्कन्ध के कुल मिलाकर लगभग 05 कार्मिकों को उपरोक्त पाठ्यक्रम हेतु प्रायोजित किया जायेगा, जिसका पाठ्यक्रमानुसार सूचक **(Indicative)** विवरण निम्नवत् है:–

क्रम सं0	पाठ्यक्रम	प्रायोजित कार्मिकों की संख्या	टिप्पणी
1	**Technical Programme**	03	प्रायोजित कार्मिकों की संख्या में अध्यक्ष, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0 द्वारा आवश्यकतानुसार बढ़ोत्तरी की जा सकती है।
2	**Management Programme**	01	
3	**Professional Programme**	01	
Total		05	

(5) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना **(Incentive Policy for Higher Education)** के अन्तर्गत कार्मिकों को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रायोजित किया जायेगा :–

(i) सीधी भर्ती के पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर नियुक्त ऐसे कार्मिक, जिन्होंने नियमानुसार निगम में 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को ही उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा, साथ ही ऐसे कार्मिकों जिनका सेवा काल अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात् कम से कम 05 वर्ष शेष रह गया हो, को ही प्रोत्साहन स्वरूप उच्च शिक्षा हेतु प्रायोजित किया जायेगा।

(ii) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना **(Incentive Policy for Higher Education)** के अन्तर्गत निगम के नियमित कार्मिकों को उनकी जॉब प्रोफाईल के अनुसार पाठ्यक्रम विशेष का अध्ययन करने हेतु प्रायोजित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पाठ्यक्रम का लाभ निगम को प्राप्त होगा।

(iii) प्रोत्साहन **(Incentive)** केवल तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित विषयों पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रदान किया जायेगा। उक्त उच्च शैक्षिक योग्यता का उपयोग आवश्यकतानुसार निगम कार्यहित में किया जायेगा, जिसके लिये कोई अतिरिक्त वैतनिक लाभ, पदोन्नति में वरीयता का लाभ अथवा अन्य कोई वित्तीय या सेवा शर्तों का लाभ देय नहीं होगा।

(iv) कार्मिकों को सम्पूर्ण सेवाकाल में उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहन **(Incentive)** योजना का लाभ एक बार ही प्रदान किया जायेगा।

(v) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना **(Incentive Policy for Higher Education)** के अन्तर्गत प्रायोजित किये गये निगम कार्मिकों को अध्ययन अवधि में ड्यूटी पर मानते हुये नियमानुसार वेतन निम्नानुसार देय होगा–

- मूल वेतन देय होगा।
- महंगाई भत्ता देय होगा।
- अध्ययन अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी।
- मकान किराया भत्ता अथवा विभागीय आवासीय कालोनी में आवास की सुविधा पूर्ववत अनुमन्य रहेगी।
- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।
- कार्मिक के वेतन से विभागीय नियमानुसार विद्युत उपभोग के मद में कटौती की जायेगी।
- कार्मिक को अध्ययन अवधि में **Generation Incentive** एवं अन्य कोई **Incentive** अनुमन्य नहीं होगा।
- कार्मिक एवं कार्मिक के परिवार को विभागीय नियमानुसार चिकित्सा सुविधा अनुमन्य होगी।

इस नीति के तहत् अध्ययन अवधि को पदोन्नति, ए0सी0पी0 एवं वेतनवृद्धि की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(vi) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना **(Incentive Policy for Higher Education)** के अन्तर्गत अध्ययन अवधि में कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन अध्ययन से ठीक पूर्व के वर्ष की वार्षिक गोपनीय आख्या के आधार पर किया जायेगा। जिन प्रकरणों में पूर्व में उक्त वर्ष की वार्षिक गोपनीय आख्या उपलब्ध नहीं होती है, वहां क्रमवार उसके पूर्व में वार्षिक गोपनीय आख्या के आधार पर आगणित कर लिया जायेगा।

(vii) प्रोत्साहन नीति/योजना के अन्तर्गत निगम के कार्मिकों को तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित विषयों के अध्ययन हेतु शिक्षण संस्थानों में आवेदन करने तथा प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिये पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के अन्तर्गत प्रायोजकता **(Sponsorship)** हेतु इच्छुक कार्मिकों के आवेदन उचित माध्यम से अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण) को प्रेषित किये जायेंगे। प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में अध्यक्ष, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0 की अध्यक्षता में गठित निम्नलिखित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा:–

1.	अध्यक्ष, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0	–	अध्यक्ष
2.	प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0	–	सदस्य
3.	निदेशक(का0प्रबं0 एवं प्रशा0), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0	–	सदस्य
4.	निदेशक(वित्त), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0	–	सदस्य
5.	निदेशक(तकनीकी), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0	–	सदस्य
6.	मुख्य अभियन्ता(मा0सं0), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0	–	संयोजक

(viii) उपरोक्त नीति के अन्तर्गत निगम द्वारा प्रायोजित कार्मिकों को अध्ययन पर गमन से पूर्व रू0 100/– मूल्य के नॉन–ज्यूडिशियल स्टैम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र (अनुबंध/बॉण्ड) देना होगा कि वह प्रश्नगत अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात् कम से कम 05 वर्ष तक यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में कार्य सुनिश्चित करेंगे।

(ix) उपरोक्त बिन्दु–(viii) में उल्लिखित 05 वर्ष की अवधि में कार्मिक को किसी भी सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्थानों में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति तथा प्रतिनियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र **(N.O.C.)** निर्गत नहीं किये जायेंगे। किन्तु यदि कार्मिक उपरोक्त निर्धारित 05 वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पूर्व किसी अन्य संस्थान में नियुक्ति हेतु इच्छुक होगा, तो ऐसी स्थिति में उसे निगम की सेवा से निःशर्त त्याग–पत्र देना होगा एवं उच्च शिक्षा हेतु निगम द्वारा वहन/प्रायोजित की गई कुल धनराशि को यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के संगत खाते में जमा करनी होगी, तदुपरान्त ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र **(N.O.C.)** निर्गत करने हेतु प्रकरण को निगम के निदेशक मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(x) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना के अन्तर्गत प्रायोजित कार्मिक अध्ययन पूर्ण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के भीतर यदि निगम की सेवा से पदच्युत् किया जाता है तो ऐसी दशा में उच्च शिक्षा हेतु निगम द्वारा वहन/प्रायोजित की गई कुल धनराशि को सम्बन्धित कार्मिक से वसूल किया जायेगा।

(xi) उक्त के क्रम में प्रायोजित किये गये कार्मिक यदि शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं अथवा किसी भी पारिवारिक/अन्य कारणों से पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में निगम द्वारा उच्च शिक्षा हेतु व्यय की गई कुल धनराशि की वसूली भी सम्बन्धित कार्मिक से की जायेगी।

(6) यह भी निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपनी उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना **(Incentive Policy for Higher Education)** में समय–समय पर किये जाने वाले संशोधनों को यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा भी अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त यथावत् अंगीकृत कर लिया जाएगा। इसके लिए पृथक से निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 166–उनिलि/रिफॉर्म/R-035(Incentive Policy for Higher Education) तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र/झाँसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर0एण्ड0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव–परियोजना, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), प्रगति इकाई, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), जल विद्युत स्कन्ध, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा0वा0से0/प्रशिक्षण), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0–02/औ0सं0/वित्त/लेखा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

आज्ञा से,

14/11/23

(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म)